हिमाचल प्रदेश चौदहवीं विधान सभा

तेरहवां सत्र

समाचार भाग-1

संख्या : 125

शनिवार, 21 नवम्बर, 2026/30 कार्तिक, 1948(शक्)

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख

11:00 बजे (पूर्वाह्न)

सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष, श्री कुलदीप सिंह पठानिया की अध्यक्षता में 11.00 बजे पूर्वाह्न आरम्भ हुई।

मान्य सदन की बैठक आरम्भ होते ही **माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री जय राम ठाकुर** ने सेना के विरुद्ध की गई टिप्पणियों के मुद्दे को पुन: उठाने हेतु **माननीय अध्यक्ष** से इजाज़त मांगी परन्तु अध्यक्ष महोदय ने उन्हें अनुमति नहीं दी और कहा कि वे अभी दिन प्रतिदिन के कार्य ही देख रहे हैं। उन्होंने इस मुद्दे पर पिछले कल जो बोला था, he stands by that. वे उसको अवश्य देखेंगे परन्तु अभी इसमें कोई इमरजेंसी नहीं है। इसमें विपक्ष और माननीय राजस्व मंत्री का भी व्यू-प्वाइंट अखबारों में काफी आ गया है। आज शीतकालीन सत्र का अंतिम दिन है इसलिए सौहार्दपूर्ण वातावरण में इस सत्र का समापन हो तो अच्छा रहेगा।

1. प्रश्नोत्तर:

(1) तारांकित प्रश्न :

तारांकित प्रश्न संख्या: 4055 (स्थगित) के सम्बन्ध में दिए गए उत्तर पर संतोष व्यक्त करते हुए माननीय सदस्य ने अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछा।

तारांकित प्रश्न संख्या: 4743, 4747, 4748 (स्थगित) तथा तारांकित प्रश्न संख्या : 4963, 4965, 4966 व 4967 पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा माननीय मुख्य मंत्री/उप मुख्य मंत्री/संबंधित मंत्रियों द्वारा उत्तर दिया गया।

तारांकित प्रश्न संख्या : 4962 व 4964 पर माननीय सदस्यों की अनुपस्थिति के कारण अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछा गया।

तारांकित प्रश्न संख्या: 4968 से 5004 तक के उत्तर संबंधित मंत्रियों द्वारा दिए गए समझे गए।

(2) **अतारांकित प्रश्न :**

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1909, 1912 व 1922 (स्थगित) तथा अतारांकित प्रश्न संख्या: 2040 से 2057 तक के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

Ruling by the Hon'ble Speaker

"Question Hour is over, and we have to take up the next business as well. So, I request the Hon'ble Leader of Opposition to please be seated. The Opposition has been given ample time to speak in this august House. The Hon'ble Chief Minister has already assured that if the pensions of any eligible beneficiaries under the Sahara Scheme have been discontinued, they should bring it to his notice, and he will look into the matter."

माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री जय राम ठाकुर ने माननीय मुख्य मंत्री द्वारा यह कहने पर कि सहारा योजना के तहत चुनावों से पहले पूर्व सरकार ने अपने कार्यकर्ताओं को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से पंजीकृत करवाया था, पर आपत्ति व्यक्त की और इस आरोप को बेबुनियाद व निराधार बताया। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी के लोग सक्षम हैं और उन्हें सहारा योजना की कोई आवश्यकता नहीं है। इस योजना की आवश्यकता उन लोगों को है, जो जीवित हैं लेकिन बिस्तर पर पड़े हैं और पानी का गिलास तक स्वयं नहीं उठा सकते तथा खाना भी स्वयं नहीं खा सकते। सच्चाई यह है कि बहुत बड़ी संख्या में सहारा योजना के अंतर्गत पंजीकृत ऐसे लोगों को मृत घोषित कर दिया गया है जोकि अभी भी जीवित हैं। ऐसी एक नहीं बल्कि अनेकों घटनाएं सामने आई हैं जो मानवीय संवेदनाओं को झकझोर देने वाली हैं। ऐसे में यह कहना कि भाजपा के कार्यकर्ताओं ने सहारा योजना का फायदा उठाया है, अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। माननीय मुख्य मंत्री को अपनी इस टिप्पणी के लिए इस माननीय सदन में माफी मांगनी चाहिए।

इस विषय पर माननीय मुख्य मंत्री ने कहा कि उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि 'सहारा योजना' में पात्र लोगों को पैसे नहीं दिए जाएंगे। इनके निर्वाचन क्षेत्र में ग्राम पंचायत परवाड़ा में जिस महिला या व्यक्ति को मृत घोषित किया गया है, जो 'सहारा योजना' का लाभार्थी था, वे उसकी इंक्वायरी निश्चित रूप से करवाएंगे। उन्होंने मान्य सदन में यह भी घोषणा की कि 20 दिसंबर तक 'सहारा योजना' में जितने भी लोगों के नाम आएंगे, यदि वे पात्र होंगे तो उन सभी को पेंशन दे दी जाएगी।

माननीय मुख्य मंत्री द्वारा वक्तव्य

माननीय मुख्य मंत्री ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की धर्मशाला में स्थायी पीठ (परमानेंट बेंच) की स्थापना के संबंध में विस्तृत वक्तव्य दिया और कहा कि यह पहल शिमला के महत्व को कम करने के लिए नहीं अपितु प्रदेश के अधिकाधिक लोगों को सस्ता व सुलभ न्याय उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से की जा रही है।

माननीय मुख्य मंत्री द्वारा घोषणा

माननीय मुख्य मंत्री ने सदन के माध्यम से समस्त हिमाचलवासियों को एक ऐतिहासिक उपलब्धि की जानकारी देते हुए कहा कि ऑल इंडिया पुलिस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड द्वारा 27वीं बैंड प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इस प्रतिष्ठित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हिमाचल प्रदेश पुलिस की महिला टीम ने इतिहास रचा है। इसलिए उन्हें यह घोषणा करते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि इस प्रतियोगिता में महिला बिगुलर टीम ने देशभर में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हिमाचल प्रदेश की इन बेटियों ने न केवल प्रदेश का मान बढ़ाया है बल्कि यह भी साबित किया है कि जब लगन और समर्पण मिलता है तो नया इतिहास रचा जाता है। वे सदन और पूरे प्रदेश की ओर से इन वीरांगनाओं को हार्दिक बधाई देते हैं। इसके साथ ही वे टीम के सभी सदस्यों के लिए 50,000 रुपये के पुरस्कार की भी घोषणा करते हैं। इसी अवसर पर वे दूसरी महिला बटालियन के गठन की भी घोषणा करते हैं।

2. कागज़ात सभापटल पर:

श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, मुख्य मन्त्री ने निम्नलिखित दस्तावेजों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखी:-

(i) भारत के संविधान के अनुच्छेद 323 (2) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग निगम विहार, शिमला का 54वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2024-25; और

(ii) हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध नियम, 2005 के नियम 7 के अन्तर्गत प्ररूप-5 ।

3. विधायी कार्य

सरकारी विधेयकों पर विचार-विमर्श एवं पारण

(1) श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, मुख्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) तृतीय संशोधन विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 19) पर विचार किया जाए।

बिल पर खण्डश: विचार हुआ।
खण्ड 2 व 3 विधेयक का अंग बने।
खण्ड-1 संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, मुख्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) तृतीय संशोधन विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 19) को पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार

शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) तृतीय संशोधन विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 19) पारित हुआ।

(2) **श्री हर्षवर्धन चौहान, उद्योग मंत्री** ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 17) पर विचार किया जाए।

माननीय सदस्य श्री बिक्रम सिंह ने उक्त विधेयक पर अपने विचार रखते हुए कहा कि यह बिल तब लाया गया है जबकि प्रदेश में पहले से ही इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनी हुई है। वर्ष 2019 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी में जो-जो विषय दिए गए हैं वे सभी इस विधेयक में भी शामिल हैं। ऐसे में आज इस एक्ट की क्या आवश्यकता पड़ी? इसके साथ ही प्रदेश में हिमाचल प्रदेश सिंगल विंडो (इन्वेस्टमैंट, प्रॅमोशन एंड फैसिलिटेशन) एक्ट, 2018 भी लागू है। क्या उसमें कोई अमेंडमैंट की है या उस एक्ट के प्रावधानों को भी इस नए एक्ट का हिस्सा बनाया गया है? उन्होंने विधेयक में 80 प्रतिशत हिमाचलियों को रोज़गार देने का प्रावधान करने का भी सुझाव दिया।

माननीय उद्योग मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

माननीय सदस्य श्री बिक्रम सिंह और त्रिलोक जम्वाल ने स्पष्टीकरण मांगा।

माननीय उद्योग मंत्री ने स्पष्टीकरण का उत्तर दिया।

बिल पर खण्डश: विचार हुआ।
खण्ड 2 से 25 तक विधेयक का अंग बने।
खण्ड-1 संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री हर्षवर्धन चौहान, उद्योग मंत्री ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 17) को पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार

हिमाचल प्रदेश विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 17) पारित हुआ।

(3) श्री हर्षवर्धन चौहान, उद्योग मंत्री ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 18) पर विचार किया जाए।

बिल पर खण्डश: विचार हुआ।
खण्ड 2 विधेयक का अंग बने।
खण्ड-1 संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री हर्षवर्धन चौहान, उद्योग मंत्री ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 18) को पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार

हिमाचल प्रदेश खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 18) पारित हुआ।

(4) श्री हर्षवर्धन चौहान, उद्योग मंत्री ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 21) पर विचार किया जाए।

माननीय उद्योग मंत्री ने मान्य सदन को उक्त बिल लाने के उद्देश्य के बारे में विस्तार से जानकारी दी।

बिल पर खण्डश: विचार हुआ।
खण्ड 2, 3 व 4 विधेयक का अंग बने।
खण्ड-1 संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री हर्षवर्धन चौहान, उद्योग मंत्री ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 21) को पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार

हिमाचल प्रदेश जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 21) पारित हुआ।

(5) **श्री विक्रमादित्य सिंह, लोक निर्माण मन्त्री द्वारा प्राधिकृत माननीय आयुष मन्त्री** ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 22) पर विचार किया जाए।

बिल पर खण्डश: विचार हुआ।
खण्ड-2 विधेयक का अंग बने।
खण्ड-1 संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री यादविंद्र गोमा, आयुष मन्त्री ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 22) को पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 22) पारित हुआ।

(6) **श्री विक्रमादित्य सिंह, लोक निर्माण मन्त्री द्वारा प्राधिकृत माननीय आयुष मन्त्री** ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 28) पर विचार किया जाए।

बिल पर खण्डश: विचार हुआ।

खण्ड 2 से 16 तक विधेयक का अंग बने।
खण्ड-1 संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री यादविंद्र गोमा, आयुष मन्त्री ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 28) को पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार

हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 28) पारित हुआ।

4. नियम-344 के अन्तर्गत प्रस्ताव :

श्री हर्षवर्धन चौहान, संसदीय कार्य मन्त्री ने निम्न प्रस्ताव किया कि:

"यह सदन इस मत का है कि वर्ष 2026 में सभा की निर्धारित न्यूनतम 35 बैठकों में से 3 बैठकें न हो पाने के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम-4 के प्रचलन को इस वर्ष के लिए निलम्बित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकार

माननीय सदस्य ने श्री प्रकाश राणा ने अपने निर्वाचन क्षेत्र की एक बहुत बड़ी समस्या मान्य सदन के ध्यान में लाई। उन्होंने बताया कि व्यावसायिक वाहनों की पासिंग कांगू, सुंदरनगर तहसील में हो रही है जबकि जोगिंदरनगर से कांगू की दूरी लगभग 100 किलोमीटर है। एक थ्री-व्हीलर को भी पासिंग करवाने के लिए इतनी लंबी दूरी तय करके कांगू जाना पड़ रहा है जिसकी वजह से दिन-प्रतिदिन धरना-प्रदर्शन हो रहे हैं। माननीय मुख्य मंत्री महोदय इस समस्या का निराकरण करें।

माननीय मुख्य मंत्री ने कहा कि माननीय सदस्य ने एटीएस (ATS) के अंतर्गत होने वाली वाहन पासिंग का विषय उठाया है, वे इस मामले पर विचार करेंगे। माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है कि वाहनों की मैनुअल पासिंग की व्यवस्था होनी चाहिए उस संबंध में विचार-विमर्श करके वस्तुस्थिति से माननीय सदस्य को अवगत करवाया जाएगा। किसी वाहन को पासिंग करवाने के लिए लगभग 100 किलोमीटर दूर न जाना पड़े, इस संबंध में स्थानीय एस0डी0एम0 को पासिंग की अनुमति देने की व्यवस्था की सम्भावनाओं पर भी विचार किया जाएगा।

सत्र का समापन

सत्र की समाप्ति पर सदन के नेता एवं माननीय मुख्य मंत्री श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू ने विधान सभा की कार्यवाही को सफलतापूर्वक चलाने के लिए माननीय अध्यक्ष की सराहना की एवं उन्हें बधाई दी। उन्होंने विधान सभा सचिवालय तथा सरकार के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों तथा पत्रकार बन्धुओं का भी उनके सहयोग के लिए धन्यवाद किया।

उन्होंने कहा कि विधान सभा ने नियम-67 के अंतर्गत विपक्ष द्वारा लाए गए स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के अतिरिक्त 13 विधेयकों को पारित किया। उनमें दो बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक हैं जोकि प्रदेश की संपदा से जुड़े हुए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि कांगड़ा में दो न्यायाधीशों की एक स्थायी बेंच स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा। यह कांगड़ा के लोगों के लिए सौभाग्य की बात होगी। एक मामला आदरणीय मल्लिकार्जुन खरगे के संबंध में माननीय सुरेश कुमार जी ने उनके ध्यान में लाया है उस मामले में प्रिविलेज मोशन के नियमों के तहत सरकार की ओर से कार्रवाई की जाएगी।

अंत में उन्होंने पूर्व मुख्य मंत्री एवं माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री जय राम ठाकुर और सत्तापक्ष व विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों तथा अपने मंत्रिमंडल के समस्त सदस्य का धन्यवाद किया।

माननीय नेता प्रतिपक्ष का सम्बोधन

विपक्ष के नेता, श्री जय राम ठाकुर ने विधान सभा की कार्यवाही को सफलतापूर्वक चलाने के लिए माननीय अध्यक्ष की सराहना की एवं उन्हें बधाई दी। उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर नियम-67 व अन्य विषयों पर सार्थक चर्चा हुई है, जिनके बारे में पूरा प्रदेश जानना चाहता था। प्रदेश से जुड़े सभी महत्वपूर्ण मुद्दों को मान्य सदन में उठाया गया है। लेकिन उन मुद्दों पर चर्चा होने के बाद अपेक्षित व संतोषजनक उत्तर नहीं मिल पाया।

अंत में उन्होंने विधान सभा सचिवालय तथा सरकार के सभी अधिकारियों-कर्मचारियों तथा पत्रकार बन्धुओं का भी उनके सहयोग के लिए धन्यवाद किया। साथ ही उन्होंने प्रदेशवासियों को आगामी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं भी दीं।

सत्र की समाप्ति पर माननीय अध्यक्ष का सम्बोधन

"इस सत्र के दौरान सदन की कुल 6 बैठकें दिनांक 16 नवम्बर से 21 नवम्बर, 2026 तक आयोजित हुई। सदन की कार्यवाही 24 घण्टे तक चली, जिसमें सत्तापक्ष साढ़े 10 घण्टे तथा प्रतिपक्ष ने 11 घण्टे सार्थक चर्चा की और सदन की उत्पादकता 80 प्रतिशत रही।

सत्र के प्रथम दिन सदन में वर्तमान विधान सभा के सदस्य, स्वर्गीय श्री नन्द लाल तथा पूर्व सदस्य स्वर्गीय श्री विजय सिंह मनकोटिया, पूर्व सदस्य को श्रंद्धाजलि अर्पित की गई और उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदना प्रकट की गई।

धर्मशाला तपोवन विधान सभा का शीतकालीन सत्र हर वर्ष किसी-न-किसी विषय के लिए ऐतिहासिक रहता है, इस वर्ष नियम-67 के अन्तर्गत ऐतिहासिक रहा। विपक्ष के माननीय सदस्यों ने नियम-67 के अन्तर्गत एक स्थगन प्रस्ताव जोकि "आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी सरकार के शासन में बिकता हिमाचल" से सम्बन्धित था, उस पर सरकार द्वारा सदन का काम रोककर चार दिन चर्चा की गई। जिसमें 30 माननीय सदस्यों ने 12 घण्टे 11 मिनट (सत्ता पक्ष 15 + प्रतिपक्ष के 15 माननीय सदस्यों ने) चर्चा में भाग लिया और चर्चा उपरान्त माननीय मुख्य मन्त्री ने 01 घण्टे 20 मिनट चर्चा का उत्तर दिया।

सत्र में जनहित के महत्वपूर्ण विषयों पर प्रश्नों के माध्यम से कुल 242 तारांकित तथा 124 अतारांकित प्रश्नों की सूचनाओं पर सरकार द्वारा उत्तर उपलब्ध करवाए गए। सत्र में एक दिन गैर सरकारी सदस्य कार्य दिवस दिनांक 19 नवम्बर को निर्धारित था, जिसमें माननीय सदस्यों के नियम-101 के अन्तर्गत 3 गैर-सरकारी संकल्प चर्चा हेतु निर्धारित थे। उसमें से एक संकल्प पिछले सत्र से स्थगित था। लेकिन नियम-67 के प्रस्ताव पर चर्चा होने के कारण इनमें चर्चा नहीं हो सकी। गैर सरकारी सदस्य कार्य दिवस को सस्पेंड कर दिया गया जोकि पहली बार ही हुआ।

इसके अतिरिक्त 13 सरकारी विधेयक सभा में पुर:स्थापित एवं चर्चा उपरान्त पारित किये गये। 4 विधेयकों पर माननीय सदस्यों से संशोधन भी प्राप्त हुए थे। माननीय सदस्यों के सुझावों उपरान्त संशोधन अस्वीकार किये गये। हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय विधेयक पर सरकार की ओर से भी संशोधन पेश किया गया, जिसके उपरान्त विधेयक संशोधित रूप में पारित हुआ ।

चार विधेयक जो पूर्व में सदन द्वारा पारित करने के उपरान्त स्वीकृति हेतु राज्यपाल महोदय को प्रेषित किये गये थे, उन्हें राज्यपाल महोदय की स्वीकृति उपरान्त सचिव विधान सभा द्वारा सदन के पटल पर रखा गया।

सभा की समितियों के 10 प्रतिवेदन सभा में उपस्थापित किये गये। इसके अतिरिक्त माननीय मन्त्रियों द्वारा अपने-अपने विभागों से सम्बन्धित दस्तावेज भी सभा पटल पर रखे गए तथा महत्वपूर्ण वक्तव्य भी दिये गए।

वर्ष में सभा के तीन सत्रों को मिलाकर 35 बैठकों का जो नियम है उसमें सभा की अनुमति से छूट प्रदान करने उपरान्त 32 बैठकें ही आयोजित हो पाईं। सत्र के दौरान भरसक प्रयास रहा कि सत्र की कार्यवाही सौहार्दपूर्ण वातावरण में चले। इसके लिए सदन के नेता

माननीय मुख्य मन्त्री श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू व नेता प्रतिपक्ष श्री जय राम ठाकुर जी का वे धन्यवाद करते हैं जिनकी वजह से इस माननीय सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से संचालित कर पाये। वे माननीय उप मुख्य मन्त्री तथा संसदीय कार्यमन्त्री का भी धन्यवाद करते हैं जिन्होंने सदन में दोनों पक्षों के बीच बेहतर समन्वय बनाए रखा। वे समस्त मन्त्री मण्डल के सदस्यों तथा माननीय सदन के समस्त सदस्यों का भी धन्यवाद करते हैं। इसके अतिरिक्त सभापति तालिका के सदस्यों का भी धन्यवाद करते हैं जिन्होंने कार्यवाही के संचालन में बहुमूल्य सहयोग दिया।

वे राज्य सरकार, विधान सभा, जिला प्रशासन कांगड़ा के अधिकारियों और कर्मचारियों के सहयोग के लिए उनका आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने दिन-रात कार्य कर इस सत्र से सम्बन्धित कार्य को समयबद्ध तरीके से निपटाने में पूर्ण सहयोग दिया। पर्यटन विकास निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों का विशेषतया आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने आतिथ्य सत्कार में कोई कमी नहीं रखी। प्रिंट एवं इलैक्ट्रोनिक मीडिया के सभी पत्रकार मित्रों का भी धन्यवाद है जिन्होंने विधान सभा की कार्यवाही को प्रदेश के जन-जन तक पंहुचाने में अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

इससे पूर्व कि सभा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया जाए, सभा मण्डप में उपस्थित सभी सदस्यों से निवेदन है कि वे राष्ट्रीय गीत के लिए अपने-अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।"

(राष्ट्रीय गीत गाया गया।)

माननीय अध्यक्ष ने सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने से पूर्व हिमाचल प्रदेश की जनता को आगामी नव-वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं दीं।

(01.33 बजे अपराह्न सदन की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई।)

*****